राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांकः राजहैल्थ/टी.सी./28510/2024/292 दिनांकः 13/06/24

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक/राजकीय मेडीकल कॉलेज/राजमेस/
एसआरजी, झालावाड/आरयूएचएस,
समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ समूह,
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
एवं शेष नियत्रंण अधिकारी, राजस्थान।

विषयः– अनिवार्य सेवानिवृति दिए जाने के संबंध में।
संदर्भः– कार्मिक विभाग के आदेश कमांक 18833 दिनांक 23.05.2024 की पालना में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश के कम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 53(1) के अंतर्गत आपके अधीनस्थ पदस्थापित अराजपत्रित संवर्ग के समस्त कार्मिकों का परिपत्र दिनांक 19.04.2006 के अंतर्गत स्क्रीनिंग कर परिपत्र की परिधि में आने वाले कार्मिकों के अनिवार्य सेवानिवृति के प्रस्ताव ई–डाक से प्रतिमाह नियमानुसार निदेशालय को भिजवाने का श्रम करावें जिससे की ऐसे कार्मिकों को जनहितार्थ निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए अनिवार्य सेवानिवृति दिये जाने की कार्यवाही की जा सके। यदि सूचना शून्य है तो शून्य की भी सूचना निदेशालय को भिजवावे।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांकः राजहैल्थ/टी.सी./28510/2024/292 दिनांकः 13/06/24
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राज0 जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर।
5. संस्थापन अधिकारी(अराजपत्रित), मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश हैं कि मुख्यालय में कार्यरत अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों के संबंध में पत्रानुसार कार्यवाही करें।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref 7568329

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.
Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :13-06-2024 02:26:56

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर 302005
Email: dmhs.tcng@gmail.com contact no. 0141-2222683

राजस्थान सरकार

कार्मिक(क–1/गो.प्र.) विभाग

प.13(53)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2024/18833 जयपुर दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

–: आदेश :–

विषयः–राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53(1) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति बाबत।

आपका ध्यान कार्मिक(क–1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र दिनाक 21.04.2000 एवं इसके पश्चात जारी परिपत्रों की और आकर्षित करना चाहूँगा जिसके द्वारा राजस्थान सिविल सेवायें (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53(1) के अनुसार ऐसे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण कर ली है एवं अपनी अकर्मण्यता, संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अक्षमता एवं अकार्यकुशलता अथवा असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण जनहितार्थ आवश्यक उपयोगिता खो चुका है ऐसे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्क्रीनिंग कर तीन माह के नोटिस अथवा उसके स्थान पर तीन माह के वेतन व भत्तों के भुगतान के साथ तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति किया जा सकेगा।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र सं. 15(3)एफ.डी./रूल्स/99 दिनांक 03.12.2002 व प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश 6(9)एआर/अनुभाग–3/2001 दिनांक 17.05.2018 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक 13(53)कार्मिक/क–1 /गो.प्र./06 दिनांक 19.04.2006 की पालना सुनिश्चित करने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

सभी प्रशासनिक विभागों और विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश के कम में सभी राज्य सेवा अधिकारियों/कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर जनहितार्थ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करे। साथ ही सीमा अनुसार बिन्दुवार अद्यतन सूचना माहवार विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रक्रिया/समय सारणी दिशा–निर्देश एवं विभिन्न परिपत्र उपरोक्तानुसार सलंग्न है।

Sudhansh Pant 23/5

(सुधांश पंत)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
7. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित।
8. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग

24/5/24

(हेमंत कुमार गेरा)

शासन प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1 प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3 पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4 अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5 सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6 पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7 निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर।
8 रक्षित पत्रावली।

24/5/24

(हेमंत कुमार गेरा)

शासन प्रमुख सचिव